

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
02/05/2022	<p style="text-align: center;">प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची</p> <p style="text-align: center;">एस0ए0आर0 पुनरीक्षण 13/2017</p> <p style="text-align: center;">विष्णु साहू एवं अन्य बनाम रामचरण तिग्गा</p> <p>प्रश्नगत पुनरीक्षण आवेदन उपायुक्त, राँची द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील संख्या-44-R15/2013-14 एवं 18-R15/2013-14 पारित संयुक्त आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। उपायुक्त द्वारा विशेष विनियमन पदाधिकारी के स्तर से भूमि वापसी वाद-138/2005-06 में पारित आदेश को सम्पुष्ट किया गया था।</p> <p>मूलतः विपक्षी रामचरण तिग्गा द्वारा प्लॉट-760, खाता नम्बर-201, रकबा-0.51 एकड़ ग्राम-अरगोड़ा के भूमि वापसी हेतु आवेदन दायर किया गया था। उक्त न्यायालय द्वारा भूमि वापसी का आदेश पारित किया गया था। अपीलार्थियों का दावा है कि भूमि वापसी वाद की सुनवाई के दौरान चन्देर उरांव व चम्पा उरांव द्वारा प्रश्नगत वाद में पक्षकार बनने हेतु आवेदन दायर किया गया था। इन्हीं आवेदकों के द्वारा एक अन्य भू-वापसी वाद-322/2006-07 भी दायर किया गया था, जिसमें इस वाद की विवादित भूमि भी सम्मिलित है। विनियमन पदाधिकारी द्वारा प्रश्नगत वाद के सुनवाई हेतु पोषणीय होने के बिन्दु पर उभयपक्षों को सुनवाई हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु सीधे अंतिम आदेश पारित कर दिया गया। प्रश्नगत भूमि का खतियान रोंगया उरांव के नाम से दर्ज है, जिनके द्वारा दिनांक-11.11.1952 में पट्टा-नामुदान के माध्यम से उपायुक्त से अनुमति प्राप्त करते हुये उक्त भूमि को रघुनाथ साहू के साथ बंदोबस्त कर दिया गया, जिनके पश्चात् आवेदक उक्त भूमि के दखलकार हुये। इस भूमि का नामान्तरण भी आवेदकों के पक्ष में किया जा चुका है। अपीलीय न्यायालय में आवेदकों के द्वारा साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जा सका, जिस कारण अपीलीय न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को सम्पुष्ट कर लिया गया। प्रश्नगत भू-वापसी का आवेदन कालबाधित है एवं निम्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत नहीं है। आवेदक प्रश्नगत भूमि पर पक्का मकान बनाकर दखलकार है तथा उनके पास जमीन्दारी रसीद, म्युनीसीपल टैक्स रसीद उपलब्ध है। उक्त भूमि की प्रकृति छप्परबंदी हो चुकी है। अतः उक्त भूमि पर भूमि-वापसी का दावा नहीं किया जा सकता। अपीलार्थियों की तरफ से लिखित बहस दायर की गयी तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा अंकित कतिपय बिन्दुओं पर आपत्ति भी दर्ज करायी गयी है।</p>	

Waw

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
	<p>अपीलीय न्यायालय के आदेश में प्रश्नगत भूमि के हुकुमनामा से प्राप्त करने के बिन्दु पर उल्लेख किया गया है, जिसे आवेदक नकार रहे हैं। आवेदकों के तरफ से 1987-88 के लगान रसीद, जमीन्दारी रसीद, उपायुक्त द्वारा एस० ए० आर० अपील-44-R15/2013-14 में आदेश की प्रतिलिपि एवं म्यूनीसीपल रसीद तथा नामुदान-पट्टा दायर किया गया है।</p> <p>विपक्षियों की तरफ से कहा गया कि प्रश्नगत भूमि का हस्तांतरण अवैध तरीके से किया गया है एवं निम्न न्यायालयों द्वारा सभी तथ्यों को गौर करते हुये आदेश पारित किये गये है। प्रश्नगत भूमि विपक्षियों की कायमी रैयती भूमि है एवं उस पर किये गये निर्माण आवेदकों के द्वारा काफी बाद में किये गये है। आवेदकों के तरफ से दायर किया गया दस्तावेज पूर्णतः पश्चात्-बुद्धि की कार्रवाई है। आर० एस० खतियान में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि हस्तांतरण की मुदत 06 वर्षों की थी, जिसके पश्चात् उक्त भूमि स्वतः रामचरण महतो के पास वापस आ गयी। ऐसी स्थिति में आवेदकों का प्रश्नगत भूमि पर कोई दावा किया जाना पूर्णतः अनुचित है।</p> <p>इस वाद में एक गोपी साहू के तरफ से आवेदन दायर किया गया, जो रघुनाथ साहू के पुत्र है। इनके द्वारा सूचित किया गया कि सम्पत्ति के बंटवारा को लेकर आवेदकों के बीच Partision Suit-87/1990-94 दायर किया गया था। उक्त सूट में प्लॉट नम्बर-760 एवं 757 सम्मिलित है। उक्त भूमि उनकी पुश्तैनी भूमि है, जिसके बंटवारा के लिये यह वाद दायर किया गया था। उक्त वाद में पारित डिक्री के विरुद्ध Title अपील 58/2003 दायर किया गया, जिसके पश्चात् उच्च न्यायालय में Writ याचिका-3319/2016 भी दायर की गयी। उनके तरफ से यह भी कहा गया कि प्रश्नगत विवादित भूमि का खाता नम्बर आवेदकों के द्वारा जानबूझ कर गलत प्रस्तुत किया गया है तथा आवेदक लगातार विभिन्न न्यायालयों में अलग-अलग आधार पर दावे कर रहे हैं।</p> <p>सभी पक्षों की सुनवाई तथा निम्न न्यायालयों के अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् प्रश्नगत भूमि की रसीद रामचरण महतो के नाम से निर्गत की गयी है। स्पष्टतः उसी समय से उक्त भूमि पर विपक्षियों का अधिकार स्पष्ट होता है। आवेदक उक्त भूमि पर नामुदान-पट्टा जो 1952 में रोंगिया उरांव द्वारा किया गया था, के आधार पर दावा कर रहे हैं। अपीलीय न्यायालय में महाराजा द्वारा दिया गया एक हुकुमनामा भी आवेदकों के तरफ से प्रस्तुत किया गया था, किन्तु इस न्यायालय में आवेदक इस तथ्य को नकार रहे हैं।</p>	

Writ

आदेश का
म संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कारवाई के
बारे में टिप्पणी,
तारीख के
साथ।

आवेदकों के द्वारा अपीलीय न्यायालय में पारित किये गये आदेश में संशोधन/सुधार हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया, किन्तु इस न्यायालय में उसी बिन्दु को तथ्यपरक नहीं होने का दावा किया जा रहा है। आवेदकों की तरफ से छोटानागपुर महाराज द्वारा निर्गत लगान रसीद भी प्रस्तुत किये गये। स्पष्टतः विभिन्न न्यायालयों में आवेदक अलग-अलग तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। आवेदकों के तरफ से दायर म्यूनीसीपल रसीद 1988 में निर्गत की गयी है। स्पष्टतः आवेदकों के पास ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे प्रश्नगत भूमि पर ये **Schedule Area Regulation** के लागू होने के पूर्व निर्माण होने की पुष्टि होती हो। एक अन्य आवेदक गोपी साहू द्वारा दिये गये आवेदन से यह भी स्पष्ट होता है कि सम्पत्ति को लेकर पारिवारिक बंटवारा की प्रक्रिया भी सक्षम व्यवहार न्यायालय में जारी है। यद्यपि उक्त सम्पत्ति बंटवारा से भूमि-वापसी वाद का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रश्नगत भूमि आवेदकों के द्वारा किस आधार पर तथा किस प्रकार से प्राप्त की गयी, यह स्पष्ट नहीं है। आवेदकों के तरफ से कथित नामुदान-पट्टा 1952 में किया गया है किन्तु 1952 में आदिवासी रैयती भूमि के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण के लिये उपायुक्त की अनुमति अनिवार्य थी। आवेदकों के तरफ से विशेष विनियमन पदाधिकारी के न्यायालय की प्रक्रिया में त्रुटियों का उल्लेख किया गया है, लेकिन ऐसी कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है, जिससे कि विनियमन पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को अनियमित घोषित किया जा सके। अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रश्नगत मामले की विस्तृत समीक्षा करते हुये अंतिम आदेश पारित किया गया है। यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदक लगातार उक्त भूमि पर अलग-अलग आधार पर दावे प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रश्नगत भूमि निर्विवाद रूप से आदिवासी रैयती भूमि है तथा आवेदक बिना वैधिक आधार के उक्त भूमि पर दखल किये हैं। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को मान्य करने का कोई आधार नहीं है, अतः इसे खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

W. K. S. S. S.
प्रमण्डलीय आयुक्त

W. K. S. S. S.
प्रमण्डलीय आयुक्त